ई 0 ए 0 अबूबकर एवं अन्य

बनाम

केरल राज्य एवं अन्य

27 सितम्बर, 2018

[मदन बी0 लोकुर एवं दीपक गुप्ता, न्यायमूर्तिगण]

भू अर्जन अधिनियम 1894 – धारा 3 (ग), 4(1), 17(1) एवं 17(4) – विशेष तहसीलदार यदि अधिनियम के तहत कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त किया गया है – राज्य सरकार ने इन्फोपार्क के प्रयोजन के लिये अपने जिले में भूमि का अधिग्रहण किया और अधिनियम की धारा–17(1) के अधीन अतिआवश्यकता खण्ड को लागू किया – तत्पश्चात् अधिनियम की धारा–4(1) के अधीन अधिसूचना जारी की गयी थी – अपीलार्थीगण के अनुसार उनकी अलग़ भूमि को अन्य भूमियों के साथ अर्जन किये जाने की मांग की गयी थी – अपीलार्थीगण ने तर्क किया की विशेष तहसीलदार अन्य अर्जनों के संबंध में कलेक्टर के कार्यों को करने का हकदार नहीं था, जिसके लिए उसे अधिनियम के तहत अधिकार नहीं दिया गया था – अभिनिर्णीत: राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.08.1989 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें विशेष तहसीलदार को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि के संबंध में कलेक्टर के रूप में कार्य करने के सशक्त किया है, जिसके लिये धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना पहले ही जारी की गयी है – विशेष तहसीलदार को अधिसूचना के द्वारा अन्य भूमि के संबंध में कोई नई अधिसूचना जारी करने के लिये सशक्त नहीं किया गया था – दिनांक 21.08.1989 की अधिसूचना के बाद एक व्याख्यात्मक नोट दिया गया, जिसने अस्पष्टता का समाधान किया – यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अधिसूचना केवल अधिकारी को कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए जारी की गई थी, जिसके संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के तहत पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है – यदि राज्य चाहता था कि वह अन्य अर्जनों के संबंध में कलेक्टर के रूप में कार्य करे, तब राज्य को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने से कोई रोक नहीं सकता, परन्तु दिनांक 21.08.1989 की अधिसूचना पर विश्वास व्यक्त करते हुये विशेष तहसीलदार अन्य अर्जनों के संबंध में कलेक्टर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

न्यायालय द्वारा अपीलें अनुज्ञात की गई

अभिनिर्णीत: 1. अधिसूचना दिनांक 21.08.1989 के परिशीलन पर यह प्रकट होता है कि उक्त अधिसूचना द्वारा केरल सरकार ने केवल एर्नाकुलम जिले के भीतर, केवल अपनी अधिकारिता के भीतर किसी भूमि के संबंध में ही, जिसके अर्जन के लिये अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गयी है, अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यो को सम्पन्न करने के लिये विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. के नाम से एक अधिकारी नियुक्त किया था। (पैरा 8)

2. अधिसूचना के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर राज्य ने विनिर्दिष्ट अधिकारी, अर्थात विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को केवल उस भूमि के संबंध में ही सशक्त किया है, जिसके लिये धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना पहले ही जारी की गयी है। विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को दिनांक 21.08.1989 की प्रश्नगत अधिसूचना के द्वारा अन्य भूमि के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के लिये सशक्त नहीं किया गया था। यद्यपि स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं हो सकता है, फिर भी

उसका प्रयोग अधिसूचना में संदिग्धता, यदि कोई हो, को दूर करने के लिये निश्चित रूप से किया जा सकता है। स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि अधिसूचना केवल 320 एकड़ भूमि के संबंध में ही कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये अधिकारी को सशक्त करने के लिये जारी की गयी है। (पैरा 9)

3. उच्च न्यायालय ने यह विचार करने में गलती की कि चूंकि लोक हित सम्बन्धित है, इसलिये उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना है और जब अर्जन कार्यवाहियां पूरी हो गयी हों अथवा लोक हित के लिये आवश्यक भूमियों के बड़े भागों को अर्जित करने के लिये चल रही हों, तब ऐसे अर्जन को '' अतितकनीकी रहस्यमय आधार'' पर नहीं रोका जा सकता है। विधिशास्त्र की यह सुस्थापित स्थिति है कि जब विधि किसी कृत्य अथवा चीज को करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित करती है, तब उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है और ऐसी प्रक्रिया का कोई अतिक्रमण कृत्य को यदि शून्य नहीं तो शून्यकरणीय बनायेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राज्य कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये कलेक्टर अथवा उपायुक्त से भिन्न किसी अधिकारी को नियुक्त करने के लिये सशक्त है। तथापि अधिसूचना इस विषय में स्पष्ट होनी चाहिये कि ऐसे कलेक्टर को किस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया जा रहा है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को केवल एर्नाकुलम जिले के भीतर रिफाइनरीज लिमिटेड से संबंधित भूमि के अर्जन के संबंध में ही नियुक्त किया गया था। यदि राज्य अन्य अर्जनों के सम्बन्ध में कलेक्टर के रूप में उसे कार्य करने के लिये चाहता था, तब राज्य को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने से कुछ भी निवारित नहीं करता था, परन्तु दिनांक 21.08.1989 की अधिसूचना पर विश्वास व्यक्त करते हुये विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. अन्य अर्जनों के संबंध में कलेक्टर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यह अतितकनीकी दृष्टिकोण नहीं है। जब राज्य किसी नागरिक की सम्पत्ति, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क के अधीन किसी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, को अर्जित करना चाहता है, तब उसे विधि के द्वारा विहित प्रक्रिया का कठोरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिये। वह यह नहीं कह सकता है कि चूंकि अर्जन लोक हित के लिये है, इसलिये अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना है। उदार अथवा रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एकमात्र दृष्टिकोण जो लिया जाना है, वह है विधिक दृष्टिकोण। हमारी सुविचारित राय में विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. सम्पूर्ण एर्नाकुलम जिले में कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत नहीं था और यह केवल उन अर्जनों के संबंध में ही सशक्त किया गया है, जिसके लिये कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के लिये भूमि अर्जित करने हेतु अधिसूचना पहले ही जारी की गयी है। (पैरा 11)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2772 वर्ष 2011

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा रिट अपील संख्या 2446 वर्ष 2008 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.01.2008 से उद्धृत।

सहित

सिविल अपील संख्याएं 2773–2774 एवं 2775 वर्ष 2011.

अपीलार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमानी, अधिवक्ता सुश्री बिंदु के. नायर, शिनू जे. पिल्लई, यशराज बुंदेला, प्रवीण विग्नेश, सुशांत सिंह, बेबी आॅगस्टीन, व्ही. के. सिद्धार्थन, रंजीत के.सी., के. मयिलसम, निनारगम आर. मौर्य (व्ही. एन. रघुपति के लिए)।

प्रत्युत्तरदातागण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत आर., के. एन. बालगोपाल, अधिवक्ता साजिथ पी. मोहम्मद, मोनिश जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय दिया गया –

दीपक गुप्ता न्यायमूर्ति – 1. इन अपीलों में जो संक्षिप्त प्रश्न, उद्भूत होता है, यह है कि क्या विशेष तहसीलदार (भूमि अर्जन), कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एर्नाकुलम, विटिल्ला, कोचीन–19 (एतस्मिन्पश्चात् ''विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल.,'' के रूप में संदर्भित) इन्फोपार्क के लिये राज्य द्वारा अधिग्रहित की गयी भूमियों के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (एतस्मिन्पश्चात् '' अधिनियम '' के रूप में संदर्भित), के अधीन कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त था।

2. दिनांक 05.12.2005 को केरल सरकार ने इन्फोपार्क के प्रयोजन के लिये जिला एर्नाकुलम में 177.79 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिये प्रशासनिक मंजूरी प्रदान किया था। सरकार ने अधिनियम की धारा–17 (1) के अधीन अतिआवश्यकता खण्ड का आश्रय लेने की भी मंजूरी प्रदान किया था। तत्पश्चात् दिनांक 15.12.2005 को जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम ने इन्फोपार्क के लिये भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिकारी के रूप में विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को नियुक्त करते हुये शासकीय आदेश जारी किया था। तत्पश्चात् अधिनियम की धारा–4(1) के अधीन अधिसूचना जारी की गयी थी। उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार के आदेश की दृष्टि में अधिनियम की धारा–5(क) के अनुप्रयोग का अधिनियम की धारा–17(4) के अधीन शक्तियों का आश्रय लेते हुये उन्मुक्त किया गया है। अपीलार्थीगण के अनुसार उनसे सम्बंधित 23.92 एकड़ भूमि को अन्य व्यक्तियों की भूमि के साथ अर्जित किये जाने की ईप्सा की गयी थी। अपीलार्थीगण ने अधिनियम की धारा–5 क(1) के अधीन आपत्तियां दाखिल कीं। उनके अनुसार उनकी आपत्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और तत्पश्चात उन्होंने अधिनियम की धारा–4(1) और 17(4) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना को अभिखण्डित करने सहित विभिन्न अनुतोषों की मांग करते हुये केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 9735 वर्ष 2008 दाखिल की। उठाया गया मुख्य आधार यह था कि विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल., अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यो को सम्पन्न करने के लिये हकदार नहीं था। राज्य का पक्ष यह था कि विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. सम्पूर्ण एर्नाकुलम जिले के लिये कलेक्टर के रूप में कार्य करने का हकदार था और इसलिये इन्फोपार्क के लिये अर्जित की गयी भूमि के सम्बंध में भी वह कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त था। रिट न्यायालय ने, जहां तक इस आपत्ति का संबंध है रिट याचिका को खारिज कर दिया। अपीलार्थीगण ने रिट अपील संख्या 2446 वर्ष 2008 दाखिल किया, जिसे भी दिनांक 06.01.2009 को खारिज कर दिया गया।

3. हम अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमणी, इन्फोपार्क की ओर से उपसंजात हो रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्त आर. और केरल राज्य की ओर से उपसंजात हो रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.एन. बालगोपाल को सुन चुके हैं।

4. कलेक्टर को अधिनियम की धारा–3 (ग) के अधीन निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

> ''(ग) अभिव्यक्ति ''कलेक्टर'' का तात्पर्य जिले का कलेक्टर है और इसमें उपायुक्त और इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यों को सम्पन्न करने के लिये समुचित सरकार के द्वारा विशेष रूप में नियुक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी को सम्मिलित करती है ; ''

प्रावधान का सामान्य वाचन यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि जिले के कलेक्टर और उपायुक्त का उनके पद के कारण अधिनियम के अर्थान्तर्गत ''कलेक्टर'' होना समझा जाता है। समुचित सरकार भी कलेक्टर के कार्यो को सम्पन्न करने के किसी अन्य अधिकारी को विशेष रूप में नियुक्त करने के लिये भी धारा 3 (ग) के अधीन सशक्त होती है। यह स्पष्ट है कि राज्य को कलेक्टर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए

किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करने के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना जारी करनी होगी। राज्य अपने विवेक से सम्पूर्ण राज्य के लिये अथवा विशेष परियोजना के लिये ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

5. अधिनियम की धारा– 4 (1) निम्नवत् पठित हैः–

4. प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन और तदुपरांत अधिकारियों की शक्तियां– (1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी लोक प्रयोजन अथवा कम्पनी के लिये किसी स्थानीय क्षेत्र में भूमि आवश्यक है या आवश्यक होना संभाव्य है, तब उस प्रभाव की अधिसूचना राजपत्र में और उस स्थानीय क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा, प्रकाशित की जायेगी और कलेक्टर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उस स्थानीय क्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान करायेगा (ऐसे प्रकाशन की अंतिम तारीख और ऐसी सार्वजनिक सूचना प्रदान करते हुये, जिसे एतस्मिन्पश्चात् अधिसूचना के प्रकाशन के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

6. वर्तमान मामले में, विवाद दिनांक 21.08.1989 की अधिसूचना के चारों ओर घूमता है, जो इस प्रकार पठित है:

केरल सरकार

राजस्व (ख) मंत्रालय

अधिसूचना

संख्या 51590/बीआई/89/आरडी त्रिवेन्द्रम, दिनांक 21 अगस्त 1989

एस.आर.ओ. संख्या 1743/89 – भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894) की धारा–3 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केरल सरकार एतद्द्वारा एर्नाकुलम जिले के क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यो को सम्पन्न करने के लिये विशेष तहसीलदार(भूमि अर्जन), कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एर्नाकुलम विटिल्ला, कोचीन–19 को नियुक्त करती है और उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) के अधीन उसे, उसके सेवकों तथा कर्मकारों को अपनी अधिकारिता के भीतर किसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसके अर्जन के लिये धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित की गयी है, उक्त उपधारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्राधिकृत करती है।

राज्यपाल के आदेश द्वारा

टी. संकरन,

अपर सचिव, सरकार

स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण

(यह अधिसूचना का भाग नहीं बनाता है, परन्तु इसके सामान्य अभिप्राय को इंगित करने के लिये आशयित है)

शासन आदेश (एमएस) संख्या 1/89/आईडी दिनांक 15.04.1989 के अनुसार सरकार ने कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बालामुगल के विस्तारण के लिये 320 एकड़ भूमि के अर्जन के लिये 30

कर्मचारियों के साथ नई विशेष भूमि अर्जन इकाई के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन 'कलेक्टर' के कार्य को सम्पन्न करने के लिये भूमि अर्जन अधिकारी को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–3 (ग) के अधीन प्राधिकृत किया जाना है। इसलिये यह अधिसूचना जारी की गयी।

राज्य की ओर से आग्रह किया गया है कि स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण पर अधिसूचना का भाग न होने के कारण विचार नहीं किया जाना चाहिये।

7. अपीलार्थीगण के अनुसार अधिसूचना की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को केवल उन भूमियों के संबंध में ही कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके लिये धारा–4 के अधीन अधिसूचना पहले ही प्रकाशित की गयी है। इसलिये अपीलार्थीगण के अनुसार विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. अन्य अर्जनों जिनके लिये उसे अधिसूचना के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में कलेक्टर के रूप में कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अपीलार्थीगण ने स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण पर भी विश्वास व्यक्त किया और निवेदन किया कि यद्यपि यह अधिसूचना का भाग नहीं हो सकती है, परन्तु यह स्पष्ट रूप में यह इंगित करती है कि विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. की नियुक्ति केवल कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के विस्तार में अन्तग्रस्त केवल 320 एकड़ भूमि के संबंध में ही थी न कि किसी अन्य प्रयोजन हेतु। दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदातागण का पक्ष यह है कि इस अधिसूचना के द्वारा विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल., विनिर्दिष्टतः एर्नाकुलम जिले के लिये ''कलेक्टर'' के रूप में नियुक्त किया गया है और इसलिये एर्नाकुलम जिले में भूमि के सभी अधिग्रहण के लिये कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त है। राज्य की ओर से यह निवअधिसूचना के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर हमारी राय में राज्य ने विनिर्दिष्ट अधिकारी, अर्थात विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को केवल उस भूमि के संबंध में ही सशक्त किया है, जिसके लिये धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना पहले ही जारी की गयी है। विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को दिनांक 21.08.1989 की प्रश्नगत अधिसूचना के द्वारा अन्य भूमि के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के लिये सशक्त नहीं किया गया था। यद्यपि स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं हो सकता है, फिर भी उसका प्रयोग अधिसूचना में संदिग्धता, यदि कोई हो, को दूर करने के लिये निश्चित रूप से किया जा सकता है। स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि अधिसूचना केवल 320 एकड़ भूमि के संबंध में ही कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये अधिकारी को सशक्त करने के लिये जारी की गयी है ।राज्य की ओर से यह निवेदन किया गया है कि शब्द ''रहा है'' को केवल भूतकाल में ही नहीं पढ़ा जा सकता है और शब्द ''रहा है'' को ''है'' के रूप में पढ़ा जा सकता है। यह भी तर्क किया गया कि जिला कलेक्टर ने दिनांक 15.12.2005 के आदेष के माध्यम से विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को कार्य संवितरित किया है।

8. अधिसूचना के परिशीलन पर यह प्रकट होता है कि उक्त अधिसूचना द्वारा केरल सरकार ने केवल एर्नाकुलम जिले के भीतर, केवल अपनी अधिकारिता के भीतर किसी भूमि के संबंध में ही, जिसके अर्जन के लिये अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गयी है, अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यो को सम्पन्न करने के लिये विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. के नाम से एक अधिकारी नियुक्त किया था।

9. अधिसूचना के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर हमारी राय में राज्य ने विनिर्दिष्ट अधिकारी, अर्थात विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को केवल उस भूमि के संबंध में ही सशक्त किया है, जिसके लिये धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना पहले ही जारी की गयी है। विशेष तहसीलदार (एल.ए.)

के.आर.एल. को दिनांक 21.08.1989 की प्रश्नगत अधिसूचना के द्वारा अन्य भूमि के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के लिये सशक्त नहीं किया गया था। यद्यपि स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं हो सकता है, फिर भी उसका प्रयोग अधिसूचना में संदिग्धता, यदि कोई हो, को दूर करने के लिये निश्चित रूप से किया जा सकता है। स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि अधिसूचना केवल 320 एकड़ भूमि के संबंध में ही कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये अधिकारी को सशक्त करने के लिये जारी की गयी है।

10. जहां तक शासन के आदेष दिनांक 15.12.2005 का संबंध है, वह सब, जिसे हम कहना आवश्यक समझते है, यह है कि अधिनियम की धारा 3 (ग) के अधीन यह केवल समुचित सरकार है, जो विनिर्दिष्ट रूप में किसी अधिकारी को कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर सकती है। जिला कलेक्टर के पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं होती है।

11. उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि चूंकि लोक हित सम्बन्धित है, इसलिये उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना है और जब अर्जन कार्यवाहियां पूरी हो गयी हों अथवा लोक हित के लिये आवश्यक भूमियों के बड़े भागों को अर्जित करने के लिये चल रही हों, तब ऐसे अर्जन को '' अतितकनीकी रहस्यमय आधार'' पर नहीं रोका जा सकता है। हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से बिलकुल सहमत नहीं है। विधिशास्त्र की यह सुस्थापित स्थिति है कि जब विधि किसी कृत्य अथवा चीज को करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित करती है, तब उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है और ऐसी प्रक्रिया का कोई अतिक्रमण कृत्य को यदि शून्य नहीं तो शून्यकरणीय बनायेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राज्य कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये कलेक्टर अथवा उपायुक्त से भिन्न किसी अधिकारी को नियुक्त करने के लिये सशक्त है। तथापि अधिसूचना इस विषय में स्पष्ट होनी चाहिये कि ऐसे कलेक्टर को किस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया जा रहा है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. को केवल एर्नाकुलम जिले के भीतर रिफाइनरीज लिमिटेड से संबंधित भूमि के अर्जन के संबंध में ही नियुक्त किया गया था। यदि राज्य अन्य अर्जनों के सम्बन्ध में कलेक्टर के रूप में उसे कार्य करने के लिये चाहता था, तब राज्य को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने से कुछ भी निवारित नहीं करता था, परन्तु दिनांक 21.08.1989 की अधिसूचना पर विश्वास व्यक्त करते हुये विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. अन्य अर्जनों के संबंध में कलेक्टर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यह अतितकनीकी दृष्टिकोण नहीं है। जब राज्य किसी नागरिक की सम्पत्ति, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क के अधीन किसी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, को अर्जित करना चाहता है, तब उसे विधि के द्वारा विहित प्रक्रिया का कठोरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिये। वह यह नहीं कह सकता है कि चूंकि अर्जन लोक हित के लिये है, इसलिये अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना है। उदार अथवा रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एकमात्र दृष्टिकोण जो लिया जाना है, वह है विधिक दृष्टिकोण। हमारी सुविचारित राय में विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. सम्पूर्ण एर्नाकुलम जिले में कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत नहीं था और यह केवल उन अर्जनों के संबंध में ही सशक्त किया गया है, जिसके लिये कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के लिये भूमि अर्जित करने हेतु अधिसूचना पहले ही जारी की गयी है। है।

12. श्री के.एन. बालगोपाल के द्वारा यह तर्क किया गया है कि विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. ने न केवल इन्फोपार्क के मामले में, अपितु अनेक अन्य मामलों में भी कलेक्टर के रूप में कार्य किया है और अनेक भूस्वामियों ने अधिनिर्णय को स्वीकार किया है और यदि हम मामले को राज्य के विरूद्ध विनिश्चित करते है, तब अनेक जटिलतायें उद्भूत हो सकती है। इसलिये हम यह स्पष्ट करते है कि यदि किसी

भूस्वामी ने विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. के प्राधिकार पर किसी आपत्ति के बिना कलेक्टर के अधिनिर्णय को स्वीकार किया है अथवा केवल परिणाम अथवा क्षेत्र के संबंध में ही आपत्तियां दाखिल किया है और कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये विशेष तहसीलदार (एल.ए.) के.आर.एल. के प्राधिकार को विवादित नहीं किया है, तब ऐसे भूस्वामीगण इस विनिश्चय का लाभ नहीं ले सकते। जहां तक इस विनिश्चय का संबंध है, यह केवल हमारे समक्ष अपीलार्थीगण को ही लाभ प्रदान करेगा।

13. अपीलें तदनुसार अनुज्ञात की जाती है। लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हो, भी अनुज्ञात किया जाता है। रिट अपील संख्या 2446 वर्ष 2008 में दिनांक 06.01.2009 और रिट याचिका संख्या 9735 वर्ष 2008 में दिनांक 25.11.2008 के उच्च न्यायालय के निर्णयों तथा आदेशों को पूर्वोक्त निबन्धनों में अपास्त किया जाता है। हम यह भी स्पष्ट करते है कि हमारे समक्ष कोई अन्य बिन्दु नहीं उठाया गया था और इसलिये राज्य विधि के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है, यदि वह अभी भी भूमि को अर्जित करना चाहता है।

अमित राठौर

अपीलें अनुज्ञात की गई।